जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

वीसीआर के विवादित मामलों में सुनवाई के लिए आवेदन की समय सीमा बढाई
विवाद के निस्तारण के लिए 30 दिवस में किया जा सकता है आवेदन

जयपुर, 22 जनवरी। बिजली चोरी के मामलों में भरी गई वीसीआर के विवादित मामलों में सुनवाई के लिए आवेदन करने की निर्धारित समय सीमा को 15 दिन से बढाकर 30 दिन कर दिया है। वीसीआर की तिथि से 30 दिन की अवधि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जाएगा। इस सम्बन्ध में शुक्रवार को निगम द्वारा आदेश जारी कर दिए गए है।

विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष श्री भास्कर ए. सावंत ने बताया कि ऊर्जा राज्यमंत्री श्री पुष्पेद्र सिंह की अध्यक्षता में जयपुर जिला वृत की आयोजित हुई समीक्षा बैठक में ग्रामीण क्षेत्र के विधायको द्वारा की गई मांग एवं वीसीआर के बारे में उपभोक्ता/प्रभावित व्यक्तियों की शिकायतों के समाधान को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि अब विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अन्तर्गत भरी गई वीसीआर के विवादित मामलों में सुनवाई के लिए उपभोक्ता द्वारा 30 दिवस की अवधि में सम्बन्धित कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है।

श्री सावंत ने बताया कि बिजली चोरी एवं अन्य गम्भीर अपराधों की रोकने के लिए वीसीआर की उचित मॉनिटरिंग एवं विवादों के निर्धारित समय सीमा में निस्तारण के लिए विद्युत वितरण निगमों में सिविल लाइबिलिटी की राशि के अनुसार सर्किल स्तर पर, सम्भाग स्तर पर एवं निगम स्तर पर वीसीआर मॉनिटरिंग एवं रिव्यूइंग कमेटियों का पूर्व से ही गठन किया हुआ है। जिसमें उपभोक्ता या प्रभावित व्यक्ति कमेटी के अध्यक्ष को अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा तथा आवेदन स्वीकृत हाने पर समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए उपभोक्ता को सिविल लाइबिलिटी की 50 प्रतिशत राशि व आवेदन शुल्क की राशि जमा कराना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि सम्बन्धित कमेटी द्वारा प्राप्त आवेदनों की सूचना तत्काल सम्बन्धित पुलिस थाने को भेजी जाएगी तथा कमेटी को यह भी अधिकार होगा कि विवाद के निस्तारण हेतु आवश्यक समझा जाए तो सक्षम अधिकारी को विवादित स्थल पर भेजकर रिपोर्ट मंगवाकर प्रकरण पर निर्णय करे। कमेटी के लिए यह आवश्यक है कि वह उपभोक्ता/प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दे एवं प्राप्त आवेदनों का 15 दिन में निस्तारण करना सुनिश्चित करे। इस तरह की वीसीआर पर अग्रिम कार्यवाही कमेटी द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार की जाएगी।

वीसीआर मॉनिटरिंग एवं रिव्यूइंग कमेटियां

वृत स्तरीय वीसीआर मॉनिटरिंग एवं रिव्यूइंग कमेटी– 5 लाख रुपए तक की सिविल लाइबिलिटी के प्रकरणों की सुनवाई करेगी एवं आवेदन शुल्क पांच सौ रुपए देय होगा।

सम्भाग स्तरीय वीसीआर मॉनिटरिंग एवं रिव्यूइंग कमेटी– 5 लाख से अधिक एवं 20 लाख रुपए तक की सिविल लाइबिलिटी के प्रकरणों की सुनवाई करेगी एवं आवेदन शुल्क सात सौ पचास रुपए देय होगा।

निगम स्तरीय वीसीआर मॉनिटरिंग एवं रिव्यूइंग कमेटी– 20 लाख रुपए से अधिक सिविल लाइबिलिटी के प्रकरणों की सुनवाई करेगी एवं आवेदन शुल्क एक हजार रुपए देय होगा।

———

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 355/2016